न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 31/2020

डॉ0 रामधन मीणा बी 17 पार्श्वनाथ कॉलानी, डीसीएम, अजमेर रोड़ जयपुर

——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 7/10/2020

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना को अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र प्रेषित/प्रस्तुत किया। आवेदन पत्र में प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रकाष्ठ कलक्ट्रेट टोंक से आवेदक द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—

पंचायती राजमंत्री कार्यालय द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायत संख्या 0720079812016 के बारे में निम्न सूचना चाही गई।

1— उक्त पंत्राक पर क्या कार्यवाही की गई या किसे जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया।

2— अगर उक्त लाभार्थी का काम बंद करने योग्य था तो उसी के साथ एवं पहले स्वीकृत कई कार्य क्यो चालू है जैसे मोती लाल पिता सॉवता, प्रहलाद पुत्र औकार, हरसहाय पुत्र जगन्नाथ सहित लगभग 19 लोगों के कार्य अभी भी किस नियम के तहत अनवरत है उक्त नियम की प्रतिलिपी प्रदान करे।

3— अगर चालू किया जायेगा तो कब तक कोई समयावधी निर्धारित की गई है।

4— ग्राम पंचायत में जितने भी पशु आश्रमों का निर्माण हुआ है क्या उनका भौतिक सत्यापन हुआ या नही।

5— प्रार्थी बीपीएल श्रेणी में होने के बाद भी अब तक लाभ से वंचित रखने के लिये कौन उत्तरदायी है।

6— ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मौखिक आदेश के तहत लाभार्थी सितम्बर 2019 में ही सीमेन्ट ले आया था उक्त सीमेन्ट के खराबे के लिए कौन जिम्मेवार है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:06:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रकोष्ठ) टोंक से आवेदक को सूचना नहीं दिये जाने के संबंध मे जवाब तलब किया गया गया। लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रकोष्ठ) टोंक ने उनके पत्र कमांक 5384 दिनाक 29–9–2020 से जवाब प्रेषित किया है कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचना पत्र कमांक 4905–06 दिनांक 15–9–2020 से रजिस्टर्ड डाक से भिजवाई जाकर आवेदक को सूचित किया जा चुका है कि बिन्दु सं0 2 के कम में प्राप्त प्रार्थना पत्र राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत सं0 07200798120161 पर दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवाई को भिजवाई गई थी जिस पर समस्त कार्यवाही विकास अधिकारी पंचायत समिति निवाई के स्तर से की गई है। जिसकी भी समस्त कार्यवाही क़ी रिपोर्ट प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दु सं0 2 में वर्णित समस्त बिन्दुओं की सूचना विकास अधिकारी निवाई से प्राप्त करें। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत जवाब की प्रति भिजवाई गई है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को सूचना उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रभारी अधिकारी लोक सेवा प्रकोष्ठ) कलक्ट्रेट, टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2020.12.09 11:06:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner